प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक : 04 अक्टूबर, 2018

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर-900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से 12 अक्टूबर, 2018 तक तथा कैप्टन एम0के0 पाण्डेय, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से 09 अक्टूबर, 2018 (04 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर पर क्रमश: रिकरेन्ट ट्रेनिंग/ चेक पायलट ट्रेनिंग तथा रिकरेन्ट ट्रेनिंग (02-02 घंटे की दो अतिरिक्त सार्टी को सम्मिलित करते हुए) कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या-97/2018/1460(4)/छप्पन-2018-34/14 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा राजकीय वायुयान हॉकर-900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से 12 अक्टूबर, 2018 तक तथा कैप्टन एम0के0 पाण्डेय, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से 09 अक्टूबर, 2018 (04 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर पर क्रमश: रिकरेन्ट ट्रेनिंग/ चेक पायलट ट्रेनिंग तथा रिकरेन्ट ट्रेनिंग (02-02 घंटे की दो अतिरिक्त सार्टी को सम्मिलित करते हुए) कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 29500 डॉलर रू0 70/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 20,65,000/- (रूपए बीस लाख पैंसठ हजार मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 4,23,450/- (रूपए चार लाख तेईस हजार चार सौ पचास मात्र) तथा कैप्टन एम0के0 पाण्डेय के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 22500 डॉलर रू0 70/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 15,75,000/- (रूपए पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,77,950/- (रूपए तीन लाख सत्तहत्तर हजार नौ सौ पचास मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 44,41,400/- (रूपए चौवालिस लाख इक्तालीस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निदेशक, नागरिक उड्डयन ने अपने पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2018 में प्रस्ताव किया है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति तत्समय

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विद्यमान विनिमय दर (रू0 70/- प्रति डॉलर की विनिमय दर) के अनुसार प्रदान की गई थी। वर्तमान में भारतीय मुद्रा प्रति डॉलर के मुकाबले लगभग रूपए 75/- हो गई है। इस प्रकार डॉलर-रूपए की विनिमय दर में परिवर्तन के फलस्वरूप उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018 में कतिपय संशोधनों की आवश्यकता है। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई विनिमय दर रूपए 75/- प्रति डॉलर के अनुसार सी0ए0ई0 दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में हॉकर 900 एक्स0पी0 वायुयान के सिमुलेटर पर कै0 अरूण कुमार की रिकरेन्ट ट्रेनिंग तथा चेक पायलट ट्रेनिंग सम्पादित कराए जाने के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क रूपए 22,12,500/-(29,500 यू0एस0डी0) तथा कै0 एम0के0 पाण्डेय की रिकरेन्ट ट्रेनिंग (02-02 घंटे की दो अतिरिक्त सार्टी को सम्मिलित करते हुए) हेतु प्रशिक्षण शुल्क रूपए 16,87,500/- (22,500 यू0एस0डी0) के अग्रिम आहरण व भुगतान तथा कै0 अरूण कुमार व कै0 एम0के0 पाण्डेय के वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं यात्रा भत्ता के मद में वांछित धनराशि क्रमश: रूपए 4,96,575/- तथा रूपए 4,23,450/- अर्थात् कुल रूपए 48,20,025/- (रूपए अड़तालीस लाख बीस हजार पच्चीस मात्र) के व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या-97/2018/1460(4)/छप्पन-2018-34/14 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- उक्त अग्रिम रूपए 48,20,025/- (रूपए अड़तालीस लाख बीस हजार पच्चीस मात्र) का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25.10.1983, संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69 दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण,भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो उसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि के भुगतान के समय रूपया एवं डॉलर के विनिमय दर की निरन्तर परिवर्तनशीलता के अनुसार भुगतान की धनराशि सुनिश्चित किया जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-7-910/दस-2018, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/--

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-102/2018/1813(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी)] उ0प्र0] इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी] जवाहर भवन] लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2] वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार] नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स] मंत्रालय] नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।